11/ प्रा-पत्र/20

ओम प्रकाश बनाम कलावती वगैरह

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-11-22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर बहस एक तरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया और निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। हमारे द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना तामील नोटिस द्वारा कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नहीं किया गया। आपत्ति व जवाब के अभाव में प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो प्रथमदृष्टया को सही मानते हुए एवं वाद बाहुलता को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अत: ताफैसला मूलवाद रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 व 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख.नं. 195 वाके ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर सम्पन्न मूल वाद रहे। उ/- उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	